Bl. Hand

संयुक्त संचालक, (कौशल विकास)
क्षेत्रीय कार्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ,
सागर (म0प्र0)

कमाँक–क्षे0का0 / सा / स्थाप / मेह0प्रव0 / 20 / 145 सागर,दिनाँक– 21-01-2020

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
बाणगंगा रोड,
भोपाल (म0प्र0)

विषय –: सागर सम्भाग स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत ।

––0––

विषयान्तर्गत सागर सम्भाग स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाना है ।

अतः विज्ञप्ति की 05 प्रतियाँ इसी ज्ञापन के साथ संलग्न प्रेषित करते हुए निवेदन है कि विज्ञप्ति प्रदेश के लोकप्रिय समाचार पत्र एवं रोजगार निर्माण में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न–विज्ञप्ति.

संयुक्त संचालक (कौशल विकास)
क्षेत्रीय कार्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ सागर
दूरभाष–07582–266814.

कमाँक–क्षे0का0 / सा / स्थाप / मेह0प्रव0 / 20 / 146 सागर,दिनाँक– 21-01-2020

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. प्राचार्य / अधीक्षक / संस्था प्रमुख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था–सागर सम्भाग,सागर

संयुक्त संचालक (कौशल विकास)
क्षेत्रीय कार्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ सागर
दूरभाष–07582–266814.

Scanned by CamScanner

कार्यालय संयुक्त संचालक, (कौशल विकास)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, सागर क्षेत्र
सागर (म0प्र0)

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सागर सम्भाग में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध सागर संभाग में मेहमान प्रवक्ताओं हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । आवेदकों से ऑन–लाइन आवेदन पत्र वेबसाइट www.mpskills.gov.in पर दिनाँक–13.01.2020 से 22.01.2020 तक स्वीकार किए जावेंगे तथा वेरिफिकेशन दिनाँक–13.01.2020 से 27.01.2020 तक करा सकते हैं । आमंत्रित किये जाने वाले पदों के लिये शैक्षणिक योग्यता संबंधित व्यवसाय/ब्रांच में आई.टी.आई. ,डिप्लोमा अथवा डिग्री होना चाहिए, आयु सीमा 01/01/2020 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम् आयु का कोई बंधन नहीं है । आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमाँक–एफ–2/2008/42–2, भोपाल दिनाँक–30.04.14 के अनुसार व्यवसाय के मेहमान प्रवक्ताओं का मानदेय रू0–110/– प्रति घण्टे अथवा एक माह में रू0–10000/–अधिकतम भुगतान किया जावेगा तथा रिसोर्स पर्सन मेहमान प्रवक्ताओं का मानदेय अधिकतम 80/– प्रति घण्टे अथवा रू0–7200/– प्रति माह होगा, जो संस्था में आवश्यकतानुसार अवधि के लिए निर्धारित होगा । आमंत्रण अधिकतम् 11 माह के लिये,प्रवेश न होने पर अथवा पद पूर्ति होने तक जो भी पहले हो तक होगा । मेहमान प्रवक्ता द्वारा पर्याप्त गुणवत्ता का प्रशिक्षण नहीं देने पर कभी भी हटाया जा सकेगा । आई0टी0आई0 प्रमाणपत्रधारी उम्मीदवार एवं डिप्लोमा/डिग्रीधारी उम्मीदवारों के प्रत्येक व्यवसाय 50–50 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे । जिन व्यवसायों में विषम संख्या में मेहमान प्रवक्ताओं की पूर्ति की जाना होगी, उनमें से एक पद डिप्लोमा/डिग्रीधारी के लिए अधिक होगा । उदाहरणार्थ यदि तीन पद हैं, तो दो पद डिप्लोमा/डिग्रीधारी के लिए एवं एक पद आई0टी0आई0 प्रमाणपत्रधारी आवेदक के लिए होगा ।

आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा व्यवसायों के नाम एवं रिक्त स्थानों की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mpskills.gov.in से प्राप्त की जा सकती है ।

संयुक्त संचालक (कौशल विकास)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, सागर क्षेत्र
सागर (म0प्र0)

Scanned by CamScanner